

25.042024:—आज पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं आए। वादी का मूल वादपत्र अदम/हाजरी मे खारिज हो गया। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थनापत्र मे कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



*Dawjo*

सहायक कलमिटर

सत्यमेव जयते

हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

